jktho xka/kh jktdh; egkfo|ky; pkSMk eSnku f'keyk&171004 dh Nk= fuf/k ys[kk vof/k 04@2008 ls 03@2011 dk ys[kk ijh{kk ,oa fujh{k.k ifronu

Hkkx&,d

1 xr vads{k.k ifronu %&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित शेष पैरों के निपटारे हेतु की गई कार्यवाही का सत्यापन करने पर निम्नलिखित टिप्पणियाँ आपेक्षित हैं। अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु व्यक्तिगत रूप से विषेष ध्यान दिए जाने की आवष्यकता है।

¼d½ vads{k.k ifronu vof/k 04@87 ls 03@90

1	पैरा 8	अनिर्णीत
2	पैरा 13(2)	अनिर्णीत

¼[k½ vads{k.k ifronu vof/k 04@90 ls 03@91

1	पैरा 11	अनिर्णीत
2	पैरा 13	अनिर्णीत

¼x½ vads{k.k ifronu vof/k 04@91 ls 03@93

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 7	अनिर्णीत
3	पैरा 9	अनिर्णीत
4	पैरा 25	अनिर्णीत

¼?k½ vads{k.k ifronu vof/k 04@93 ls 03@97

1	पैरा 7	अनिर्णीत
2	पैरा 10(घ)(ङ)(च)(झ)(ठ) से (ड) (ध)(न)(प)(ब)(भ) व (म)	अनिर्णीत
3	पैरा 11	अनिर्णीत
4	पैरा 12	अनिर्णीत

5	पैरा 13(क) से (ङ)	अनिर्णीत
6	पैरा 14(ग)(घ)(च)	अनिर्णीत
7	पैरा 14(ज)(झ)(ञ)(ठ)(ढ)(त)	अनिर्णीत
8	पैरा 15(ख)	अनिर्णीत

¼³½ vkd{k.k ifronu vof/k 04@97 ls 03@98

1	पैरा 5	अनिर्णीत
2	पैरा 6(1)(2)(3)(5)	अनिर्णीत
3	पैरा 8	अनिर्णीत
4	पैरा 9(1)(2)(3)(4)	अनिर्णीत

¼p½ vkd{k.k ifronu vof/k 04@98 ls 03@2001

1	पैरा 5(क)(ख)(ग)	अनिर्णीत
2	पैरा 6(क)(ख)	अनिर्णीत
3	पैरा 12	अनिर्णीत
4	पैरा 15(क)(ख)(ग) से (ङ)	अनिर्णीत
5	पैरा 16	अनिर्णीत

¼N½ vkd{k.k ifronu vof/k 04@2001 ls 03@2002

1	पैरा 4(ग)	अनिर्णीत
2	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत
3	पैरा 10(क) से (ड)	अनिर्णीत
4	पैरा 11	अनिर्णीत
5	पैरा 12	अनिर्णीत
6	पैरा 13(क)(ग)(घ)	अनिर्णीत
7	पैरा 13(ड)(2)	अनिर्णीत
8	पैरा 13(च)	अनिर्णीत

9	पैरा 14	अनिर्णीत	
10	पैरा 15	अनिर्णीत	
11	पैरा 17	अनिर्णीत	
12	पैरा 18	अनिर्णीत	
13	पैरा 20	अनिर्णीत	

¼t½ vads{k.k ifronu vof/k 04@2002 ls 03@2006

1	पैरा 5	अनिर्णीत	
2	पैरा 6	अनिर्णीत	
3	पैरा 9	अनिर्णीत	
4	पैरा 14	अनिर्णीत	
5	पैरा 16	अनिर्णीत	
6	पैरा 20	अनिर्णीत	
7	पैरा 21	अनिर्णीत	

¼>½ vads{k.k ifronu vof/k 04@2006 ls 03@2008

1	पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क ₹14000/–बैंक चैक संख्या 607858, दिनांक 05.06.2008 द्वारा निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेष षिमला–9 को भेज दिया गया)
2	पैरा 4(ग)	अनिर्णीत	
3	पैरा 4(घ)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति पैरा संख्याः 6 पर वर्णित की गई है)
4	पैरा 4(ङ)	अनिर्णीत	
5	पैरा 4(च)	अनिर्णीत	
6	पैरा 4(छ)	अनिर्णीत	

7	पैरा 4(ज)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति पैरा संख्याः 7 पर वर्णित की गई है)
8	पैरा 4(झ)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति पैरा संख्याः 4(ख) पर वर्णित की गई है)
9	पैरा 5	अनिर्णीत	
10	पैरा 6	अनिर्णीत	
11	पैरा 7	अनिर्णीत	
12	पैरा 8	अनिर्णीत	
13	पैरा 8(क)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति पैरा संख्याः 11 पर वर्णित की गई है)
14	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत	
15	पैरा 9	अनिर्णीत	
16	पैरा 9(2)	अनिर्णीत	
17	पैरा 9(3)	अनिर्णीत	
18	पैरा 10	अनिर्णीत	

Hkkx&nks

2 oRkeku ys[kk ijh{kk %&

राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय चौड़ा मैदान, षिमला–171004 के निधि लेखाओं अवधि 04/2008 से 03/2011 तक की वर्तमान लेखा परीक्षा श्री अनिल शर्मा, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनांक 30.05. 2011 से 06.07.2011 तक किया गया विस्तृत जाँच हेतु आय के लिए माह 06/08, 06/09 और 06/10 एवं व्यय के लिए माह 12/08, 12/09 और 08/10 के लेखाओं का चयन किया गया जिसके परिणामों को अनुवर्ती पैरों में समाविष्ट किया गया है।

''वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेष, संस्था द्वारा दी गई गलत सूचनाओं अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने पर पाई जाने वाली अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अंकेक्षण का उत्तरदायित्व केवल चयनित मासों तक ही सीमित होगा।''

3 vd{k.k 'kYd %&

राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय चौड़ा मैदान, षिमला–171004 के लेखाओं अवधि 04/2008 से 03/2011 तक का अंकेक्षण शुल्क ₹21000/–बनता हैं। अनुभाग अधिकारी (ले0प0) के पत्र संख्याः 38/2011, दिनांक 28.06.11 द्वारा उक्त राषि को बैंक ड्राफ्ट/बैंक चैक के माध्यम से निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेष षिमला–09 को भेजने हेतु अनुरोध किया गया । फलस्वरूप बैंक ड्राफ्ट संख्याः/बैंक चैक संख्याः 840563, दिनांक 01.07.2011 द्वारा राषि ₹21000/–का भुगतान निदषेक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को किया गया।

4 foÙkh; fLFkfr %&

¼1½ वर्ष 2008–09, 2009–10 और 2010–11 की वित्तीय स्थिति का छात्र निधिवार विवरण परिषिष्ट ‘‘क’’ पृष्ठ 1 से 3 पर दिया गया है।

¼2½ cpr [kkrk e i kIr C;kt ₹195824@&¼o"k 2009&10 ¾ 113363 $ o"k 2010&11 82461½ dk vkuikfrd vk/kkj ij Nk= fuf/k;k d y[kk e vkcfVr u djuk %&

छात्र निधियों की वित्तीय स्थिति की जाँच करने पर पाया गया कि विभिन्न निधियों के बचत खातों में अर्जित ब्याज ₹195824/– (वर्ष 2009–10 = 113363 + वर्ष 2010–11 = 82461) को वित्तीय स्थिति में प्राप्ति कॉलम पर एक पृथक कॉलम में दर्षाया गया है। जबकि अर्जित ब्याज की राषि को आनुपातिक आधार पर सभी छात्र निधियों में आबंटित करके लेखांकित किया जाना अपेक्षित था। इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2006 से 03/2008 के पैरा संख्याः 4(झ) में भी आपत्ति उठाई गई थी परन्तु वर्ष 2008–09 के दौरान केवल ₹500468/–के ब्याज की राषि को विभिन्न छात्र निधियों में आनुपातिक आधार पर आबंटित करके लेखांकित किया गया। अतः वर्ष 2009–10 व 2010–11 के दौरान अर्जित ब्याज की राषि ₹195284/–(वर्ष 2009–10 = 113363 + वर्ष 2010–11 = 82461/–) को आनुपातिक आधार पर विभिन्न छात्र निधियेां में आबंटित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। भविष्य में बचत खातों में निवेषित राषियों पर अर्जित ब्याज की राषियों को आनुपातिक आधार पर सभी छात्र निधियों में आबंटित करके सम्बन्धित रोकड़ बहियां में लेखांकित किया जाना सुनिष्चित किया जाए, तथा अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

5 ₹11218@&C;kt dh de ikfIr %&

लाईब्रेरी छात्र निधि की बैंक पास बुक की जाँच करने पर पाया गया कि हिमाचल प्रदेष राज्य सहकारी बैंक की शाखा षिमला–01 द्वारा पास बुक में प्रत्येक वर्ष सितम्बर व मार्च मास की समाप्ति पर ब्याज की गणना की गई थी इस आधार पर वर्ष 2008 में मास सितम्बर तक की अवधि का ब्याज बैंक द्वारा दिया जाना आपेक्षित

था। परन्तु मास 10/2008 तक भी कोई राषि ब्याज के रूप में बैंक द्वारा प्रदान नहीं की गई थी। मास 09/2008 तक बैंक में कुल जमा ₹650332/—पर ₹11218/—ब्याज के रूप में देय बनती थी (650332 x 3.45/100 x 6/12) अतः ₹11218/—की देय ब्याज राषि बारे मामला सम्बन्धित बैंक के साथ उठाया जाए व ब्याज की राषि प्राप्त होने पर सम्बन्धित निधि की रोकड़ बही में जमा की जाए। अनुपालना से विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

6 ₹18]79]614@&dh C;kt dh jkf'k dk jkdM+ cgh esa ys[kkfdr u djuk %&

अंकेक्षण में पाया गया कि अवधि 01.04.2008 से 31.03.2011 तक सावधि निवेष खातों में जमा राषियों पर अर्जित ब्याज की राषि ₹18,79,614/—को रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया था। सावधि निवेष खातों में अर्जित ब्याज को रोकड़ बही में लेखांकित न करना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2006 से 03/2008 के पैरा संख्या 4(घ) में भी आपति उठाई गई थी परन्तु इस सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। अतः सावधि निवेष खातों में अर्जित ब्याज की राषियों को रोकड़ बही में लेखांकन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। भविष्य में सावधि निवेष पर अर्जित ब्याज का रोकड़ बही में लेखांकन किया जाना सुनिष्चित किया जाए, तथा अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

7 lkof/k [kkrksa esa fuosf'kr jkf'k;ksa dk jkdM+ cgh ds izkjfEHkd@vfUre 'ks"kksa esa lfEefyr u djuk

छात्र निधियों की विभिन्न रोकड़ बहियों की जाँच करने पर पाया गया कि सावधि खातों में निवेषित राषियों को सम्बन्धित रोकड़ बहियों के प्रारम्भिक/अन्तिम शेषों में सम्मिलित नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2006 से 03/2008 के पैरा संख्या 4(ज) में भी आपत्ति उठाई गई थी परन्तु इस सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। अतः सावधि खातों में निवेषित राषियों को रोकड़ बहियों के प्रारम्भिक/अन्तिम शेषों से सम्मिलित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। भविष्य में सावधि खातों में निवेषित राषियों को रोकड़ बहियों के प्रारम्भिक/अन्तिम शेषों में सम्मिलित/लेखांकित किया जाना सुनिष्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

8 veyxkeVsM fuf/k %&

¼1½ dkyst dfUVtsUlh [kpZ gsrq veyxkeVsM fuf/k ls jkf'k ₹13-08@&yk[k dk vukf/kd`r gLrkarj.k %&

अमलगामटेड निधि की रोकड़ बही की पड़ताल के दौरान पाया गया कि कॉलेज कंटिजैंसी खर्च जैसे की बिजली बिल, दूरभाष बिल, पानी बिल इत्यादि हेतु अमलगामटेड निधि में से निम्न दिनांक/मासों के दौरान ऋण लिया गया।इस प्रकार के ऋण हेतु सक्षम अधिकारी की अनुमति आवष्यक थी परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि इस प्रकार की कोई अनुमति अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी। सक्षम अधिकारी की अनुमति लिए बिना

अमलगामटेड निधि में से ऋण लिया जाना अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। अतः अनुमति लिए बिना ऋण लेने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा लिए गए ऋण के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाए जिसे आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए एवं अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करवाय जाए।

veyxkeVsM fuf/k esa ls fy, x, _.k ,oa okilh dk fooj.k

o"kZ 2008&09

_.k ysus dk fooj.k — _.k okilh dk fooj.k

Sr. No.	Date	Amount	Purpose	Vr. No.	Date	Amount returned
1	15.05.08	4932/–	Electricity Bill	5/08	07.02.09	4932/–
2	15.05.08	1589/–	Telephone Bill	6/08	07.02.09	1589/–
3	29.05.08	2822/–	Electricity Bill	7/08	07.02.09	2822/–
4	26.06.08	3021/–	Electricity Bill	16/08	07.02.09	3021/–
5	18.07.08	8835/–	Water Bill	23/08	07.02.09	8835/–
6	24.07.08	2443/–	Electricity Bill	24/08	07.02.09	2443/–
7	08.08.08	10050/–	Electricity Bill	34/08	03.10.08	10050/–
8	08.08.08	500/–	Electricity Bill	34/08	08.08.08	500/–
9	25.08.08	2918/–	Electricity Bill	40/08	07.02.09	2918/–
10	25.08.08	1175/–	Telephone Bill	41/08	07.02.09	1175/–
11	18.10.08	36566/–	R.R.T.	61/08	27.03.09	36566/–
12	25.11.08	12377/–	Electricity Bill	89/08	07.02.09	12377/–
13	23.01.09	5155/–	Electricity Bill	118/08	07.02.09	5155/–
14	23.04.09	6583/–	Electricity Bill	4/08	11.05.09	6583/–
	tksM	98956@&				

o"kZ 2009&10

Sr. No.	Date	Amount	Purpose	Vr. No.	Date	Amount returned
1	23.04.09	6583/–	Electricity Bill & Telephone Bill	4/09	11.05.09	6583/–
2	25.06.09	1565/–	Telephone Bill	16/09	28.03.11	1565/–
3	23.07.09	2327/–	Electricity Bill	24/09	28.03.11	2327/–
4	25.08.09	2162/–	Telephone Bill	35/09	28.03.11	2162/–

5	25.08.09	3527/–	Electricity Bill	36/09	22.10.10	3527/–
6	15.09.09	14562/–	Water Bill	47/09	22.10.10	14562/–
7	24.09.09	4923/–	Electricity Bill	56/09	22.10.10	4923/–
8	12.10.09	25500/–	Electricity Bill	72/09	–	25500/–
9	21.10.09	5,54,494/–	R.R.T	77/09	21.11.09	5,54,494/–
10	20.10.09	5557/–	Electricity Bill & Telephone Bill	82/09	22.10.10	5557/–
11	22.12.09	7420/–	Electricity Bill	110/09	13.05.10	7420/–
12	22.12.09	2004/–	Telephone Bill	111/09	13.05.10	2004/–
13	20.02.10	13892/–	Electricity Bill	134/09	28.03.11	13892/–
14	24.02.10	10267/–	Water Bill	136/09	28.03.11	10267/–
15	24.02.10	1370/–	Telephone Bill	137/09	28.03.11	1370/–
16	25.03.10	558/–	Telephone Bill	148/09	13.05.10	558/–
	t kM	6]56]711@&				

o"kZ 2010&11

Sr. No.	Date	Amount	Purpose	Vr. No.	Date	Amount returned
1	21.04.10	10523/–	Electricity Bill	3/10		
2	25.06.10	5429/–	Electricity Bill	15/10		
3	05.08.10	6255/–	Electricity Bill	41/10		
4	05.08.10	32895/–	Water Bill	45/10		
5	18.08.10	3,52,623/–	R.R.T.	51/10	28.03.11	3,52,623/–
6	23.08.10	4502/–	Electricity Bill	59/10		
7	15.09.10	2090/–	Telephone Bill	83/10	28.03.11	2090/–
8	29.09.10	4937/–	Electricity Bill	87/10		
9	01.11.10	5328/–	Electricity Bill	106/10	28.03.11	5328/–
10	15.11.10	2311/–	Telephone Bill	115/10	28.03.11	2311/–
11	30.11.10	6701/–	Electricity Bill	121/10	28.03.11	6701/–
12	14.12.10	18000/–	Electricity Bill	127/10	15.12.10	18000/–
13	24.12.10	9713/–	Electricity Bill	132/10	28.03.11	9713/–
14	31.12.10	14115/–	Electricity meter	133/10		

15	11.02.11	5289／–	Telephone Bill	138／10	28.03.11	5289／–
16	17.02.11	5000／–	Electricity Bill	146／10	24.06.11	5000／–
17	08.03.11	40744／–	Water Bill	154／10		
18	08.03.11	15814／–	Electricity Bill	155／10		
19	23.03.11	9754／–	Electricity Bill	156／10	28.03.11	9754／–
	;kx	5]52]023@&			;kx	4]16]809@&
	dqy ;kx	13]07]690@&				

¼2½ veyxkesfVM fuf/k ls tkjh _.k dh jkf'k ₹1]35]214@&dh fuf/k esa okil h u djuk ¼&

उक्त पैरा 8 में वर्ष 2010–11 के दौरान अमलगामेटिड निधि से महाविद्यालय के फुटकर व्यय के भुगतान हेतु ₹552023／–की राषि ऋण के रूप में निकाली गई थी जबकि वर्ष के अन्त तक अमलगामेटिड निधि में केवल ₹4,16,809／–की राषि ही वापिस की गई। इस प्रकार 31.03.11 तक ₹1,35,214／–के ऋण की वापसी शेष थी। अतः शेष ऋण की राषि को उचित स्त्रोत से अहरित करने के उपरान्त अमलगामेटिड निधि में जमा करवाना सुनिष्चित किया जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 fgekpy izns'k fo'ofo|ky; dks i{k esa izkIr vk; dk Hkqxrku ckjs ¼&

हिमाचल प्रदेष विष्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार महाविद्यालय द्वारा पंजीकरण शुल्क／स्थानांतरण शुल्क, खेल कूद फीस, युवा कल्याण शुल्क, विष्वविद्यालय अवकाष गृह शुल्क व परीक्षा शुल्क छात्रों से वसूल किए जा रहे हैं। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा विष्वविद्यालय के पक्ष में केवल उन्हीं प्राप्तियों का भुगतान किया जा रहा हैं जिन विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा फार्म परीक्षा में बैठने के लिए भरे गए थे तथा शेष विद्यार्थियों जिन्होंने परीक्षा में बैठने के लिए फार्म नहीं भरे थे, उन छात्रों से विष्वविद्यालय के पक्ष में प्राप्त शुल्क का विष्वविद्यालय को भुगतान नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार महा विद्यालय के खाते में वर्ष दर वर्ष विष्व विद्यालय के पक्ष में प्राप्त शुल्क संचय होकर 31.03.2011 तक निम्नविवरणानुसार ₹5,22,680／– बनात है।

Øe la[;k	fo'ofo|ky; dks i{k esa izkIr 'kqYd dk uke	fnukad 31-03-11 rd lafpr jkf'k ¼₹½
1	पंजीकरण शुल्क／स्थानांतरण शुल्क	18004.00
2	कंटीन्युषन शुल्क	64,748.00
3	खेल कूद शुल्क	1,52,993.00
4	ष्युवा कल्याण शुल्क	1,65,961.00

5	विश्वविद्यालय अवकाष गृह शुल्क	12,848.00
6	परीक्षा शुल्क	1,08,126.40
	dy ;kx	5]22]680-40

अतः उपरोक्त शुल्कों को हिमाचल प्रदेष विष्वविद्यालय को न भेजने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। भविष्य में विष्वविद्यालय के पक्ष में प्राप्त शुल्क का विष्वविद्यालय को भुगतान किया जाना सुनिष्चित किया जाए, तथा अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

10 en.k dk dk;l fgekpy in'k ljdkjh en.kky; e u djok dj [ky cktkj e djokuk %&

हिमाचल प्रदेष सरकार के पत्र संख्याः 4–23/90–मुद्रण दिनांक 16.11.1990, 27.11.2001 एवं 02.08.2002 द्वारा राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों/विभागों, स्वायत संस्थाओं को अपने कार्यालयों से सम्बन्धित समस्त मुद्रण कार्य हिमाचल प्रदेष सरकारी मुद्रणालय से करवाना अनिवार्य था। यदि राजकीय मुद्रणालय किन्हीं अपरिहार्य कारणों से मुद्रण कार्य करने में असमर्थ हो तो हिमाचल प्रदेष मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवष्यक था। परन्तु निम्नलिखित मामलों में कॉलेज प्रषासन द्वारा उपरोक्त निर्देषों की अनदेखी करके मुद्रण कार्य खुले बाजार से करवाया गया, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए । भविष्य में उपरोक्त निर्देषों की पालना की जाए और समस्त मुद्रण कार्य हिमाचल प्रदेष सरकारी मुद्रणालय से करवाया जाए व अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

fnukd@okÅpj l[;k	jkf'k	Qe dk uke	dk;l dk fooj.k
11.06.08, 13/08	35,880.00	मै0 विकास लेसर ग्राफिक्स, षिमला	कॉलेज पत्रिका
11.07.08, 21/08	10,400.00	मै0 विकास लेसर ग्राफिक्स, षिमला	परिचय पत्र
22.11.08, 87/08	21,801.00	मै0 महाजन प्रिंटिंग प्रेस, षिमला–06	उत्तर पुस्तिकाएं
20.07.09, 21/09	9,256.00	मै0 महाजन प्रिंटिंग प्रेस, षिमला–06	परिचय पत्र
20.07.09, 22/09	38,417.00	मै0 महाजन प्रिंटिंग प्रेस, षिमला–06	प्रोसपैक्टस
12.08.10, 50/10	53,771.00	मै0 महाजन प्रिंटिंग प्रेस, षिमला–06	प्रोसपैक्टस
12.08.10, 50/10	10,238.00	मै0 महाजन प्रिंटिंग प्रेस, षिमला–06	परिचय पत्र
25.08.10, 60/10	2,205.00	मै0 महाजन प्रिंटिंग प्रेस, षिमला–06	प्रोसपैक्टस
28.03.11, 158/10	1,880.00	मै0 महाजन प्रिंटिंग प्रेस, षिमला–06	वार्षिक रिपोर्ट
28.03.11, 159/10	6,300.00	मै0 महाजन प्रिंटिंग प्रेस, षिमला–06	मेरिट सर्टिफिकेट
dy ;kx	1]90]148-00		

11 iLrdky; ifrHkfr fuf/k %&

पुस्तकालय प्रतिभूति निधि की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2011 को ₹11,35,026/—की राषि जमा थी। परन्तु कॉलेज प्रषासन द्वारा पुस्तकालय प्रतिभूति रजिस्टर तैयार न किए जाने के परिणाम स्वरूप यह मालूम नहीं किया जा सका कि उक्त निधि में जमा राषि, किन—किन छात्रों द्वारा जमा करवाई गई थी, वर्षवार जमा राषि की क्या स्थिति थी, पुस्तकालय प्रतिभूति रजिस्टर तैयार किया जाना अत्यन्त आवष्यक है क्योंकि निदेषक, उच्च षिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेष के पत्र संख्याः ई0डी0एन0—एच(8)बी(4)28/08—बजट—लिब, दिनांक 26.03.2009 के अनुसार यदि कोई छात्र कॉलेज छोड़ने के दो वर्षो के भीतर पुस्तकालय प्रतिभूति की राषि वापिस लेने हेतु आवेदन नहीं करता तो उसकी पुस्तकालय प्रतिभूति की राषि जब्त कर ली जाएगी। जब्त राषि का प्रयोग कॉलेज पुस्तकालय के विकास के लिए किया जाएगा। परन्तु पुस्तकालय प्रतिभूति निधि का रजिस्टर तैयार न किए जाने के कारण यह जाँच नहीं कि जा सकी कि किस किस छात्र कि पुस्तकालय प्रतिभूति जब्त की जानी चाहिए थी। अतः पुस्तकालय प्रतिभूति निधि का रजिस्टर तैयार न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व गत वर्षों का पुस्तकालय प्रतिभूति निधि रजिस्टर तुरन्त तैयार किया जाए। पुस्तकालय प्रतिभूति की जब्त राषि को उपरोक्त पत्र द्वारा दिये निर्देषों अनुसार उपयोग में लाया जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

12 y?k vkifr foojf.kdk %& लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया है।

13 fu"d"k %& लेखों में सुधार की आवष्यकता है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु शीघ्र आवष्यक कार्यवाही करना सुनिष्चित किया जाए।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष,षिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्या :वित्त(ले0प0)मु0(2)(15)(11)(i)186/88—खण्ड—4 दिनांक, षिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :—

ithdr 1. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय कोटशेरा, तहसील व जिला षिमला, हिमाचल प्रदेष को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिषीघ्र भेजें ।

2. निदेषक, षिक्षा विभाग, हि0प्र0 षिमला—171001.

3. उप निदेषक षिक्षा षिमला, जिला षिमला हिमाचल प्रदेष।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष,षिमला–171009.

¼vuli d|ekj ?kk:½